न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छतरपुर(पलामू)।

सरयु भुईयाँ
बनाम्
सुशील सिंह उर्फ
मंटु सिंह वगैरह

अनुसूची–14 फारम सं0– 562

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक – ता0 .... से .... तक

जिला– पलामू वाद सं0 ......~~01~~ 173...... सन् 201~~7~~-18

केस का विषय–धारा 144 दं0प्र0सं0 ....

आदेश की क्रं0सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
11-1-18	आवेदक सरयु भुईयाँ पिता–स्व0 रामकेश्वर भुईयाँ ग्राम–नावाटांड़, पोस्ट+थाना– नौडीहा बाजार, जिला– पलामू ने 01. सुशील सिंह उर्फ मंटु सिंह 02. राजीव रंजन सिंह दोनो के पिता–ललन सिंह 03. शिवशंकर सिंह पिता–स्व0 हुसैनी सिंह सभी ग्राम– डुमरी, टोला– रेवाडीह, थाना– नौडीहा बाजार, जिला– पलामू के विरूध धारा 144 दं0प्र0सं0 अंतर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया था जिसे इस कार्यालय के ज्ञापांक 1217 दिनांक 07.11.2017 द्वारा थाना प्रभारी, नौडीहा बाजार से जाँच प्रतिवेदन कि मांग की गई। थाना प्रभारी, नौडीहा बाजार ने डी0आर0 नं0–709/17 दिनांक 07.12.2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि विवादित भूमि पर धारा 144 दं0प्र0सं0 लगाते हुए निरोधात्मक कार्रवाई की जा सकती है जिससे दोनो पक्षों के बीच कोई अप्रिय घटना नहीं घट सके और विधि व्यवस्था बनी रहे। मैं थाना प्रभारी, नौडीहा बाजार के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से संतुष्ट हूँ कि निम्नांकित भूमि के उपर दखल–कब्जा को लेकर उभय पक्षों के बिच तनाव उत्पन हो गया है जिससे शांति भंग होने की सम्भावना बनी हुई है जो मेरे अधिकार सीमा क्षेत्र के अंदर है। अतः निम्नांकित विवादी भूमि के उपर धारा 144 दं0प्र0सं0 की प्रकिया कायम करते हुए उस पर उभय पक्षों को जाने	

आदेश की क्र0सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की कार्रवाई बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	से रोका जाता है। यह भी आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष दिनांक 18/01/2018 को मेरे न्यायालय में हाजिर होकर कारण पृच्छा दाखील करें कि क्यों नहीं निर्गत नियम उनके विरूध-निरपेक्ष किया जाय।	
	विवादित भूमि का विवरण निम्नवत है:-	
	मौजा का नाम खाता सं0 पलौट सं0 रकबा चौहद्दी	
	नावाटांड़ 22 228,229 50 डी0 उ0-कौशल्या कुंवर द0-स्व0 सरयु प्रसाद गुप्ता पू0-रास्ता प0- स्कूल	
	लेखापित एवं संशोधित 11/1/18 अनुमंडल दंडाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)। 11/1/18 अनुमंडल दंडाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।	
18-1-18	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 25-01-18 को रखें। SDM	
25-1-18	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 01-2-18 को रखें। SDM	
01-2-18	अभिलेख उपस्थापित। उभयपक्ष अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 8-2-18 को रखें। SDM	
8-2-18	अभिलेख उपस्थापित। उभयपक्ष अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 15-2-18 को रखें। SDM	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
15-2-18	अभिलेख अप्रस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 22-2-18 को रखें। SDM	
22-2-18	अभिलेख उपस्थापित। उभयपक्ष अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 06-03-18 को रखें। SDM	
6-3-18	अभिलेख उपस्थापित। उभयपक्ष अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक-08-03-18 को रखें। SDM	
8-3-18	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। इस वाद की कालावधि समाप्त हो रही है। इस वाद में उभय पक्ष उपस्थित नहीं हुए। इससे स्पष्ट होता है कि इस वाद में उभयपक्ष की कोई अभिरुचि नहीं रह गयी है। अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित 8/3/18 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू। 8/3/18 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू।	

Digitally signed by ASHISH GANGWAR
Date: 2025.01.28 16:22:25 +05:30
Location: 192.168.238.105